

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार, 06 सितंबर-2021 वर्ष-4, अंक-225 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बारिश से फिर भीगेगी
दिल्ली-एनसीआर,
राजस्थान, उत्तरांचल सहित
इन राज्यों के लिए अलर्ट



नई दिल्ली। भारी बारिश के चलते देश का मौसम सुहाना हो चुका है। पिछले दिनों से ही रही भारी बारिश के चलते एक तरफ उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहाँ कई राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है। पिछले दिनों दिल्ली-एनसीआर में हुई मूसलाधारी बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशनियों का समाना करना पड़ा। हालांकि, आज भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के आसार हैं। सोमवार से अगले पांच दिनों तिंपाही पर येतों अलर्ट जारी किया गया है।

बंगल की खाड़ी में मौसमी सक्रियता बढ़ी दरअसल, बंगल की खाड़ी में मौसमी सक्रियता बढ़ गई है, जिसके चलते देश के कई इलाकों में मानसीनी बारिश की स्पष्टता बढ़ गई है। चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि कल यानि 6 सितंबर से उत्तर-मध्य बंगल की खाड़ी में निम्न दवाब का क्षेत्र विकरीत हो सकता है। ऐसे में दवाबिण से लेकर उत्तर भारत में झाजमान बारिश का अलर्ट है।

बिहार में इस बार भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ आई है। मूँख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने का भी एलान किया है। वहाँ यहाँ पर बारिश के अविनियमित राजी किया जा रहा है। आज यानि 5 सितंबर से एक बार पिछे से यहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा। वहाँ राजधानी पटना में भी मौसम बदलेगा।

कुशल व प्रभावी बनाने के लिए



पाई गई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रही थी। शनिवार को बच्चे को एक निजी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया। रविवार सुबह पाच बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहाँ, निपाह वायरस से बच्चे की मौत के बाद, केंद्र की एक टीम कांक्षिकोड पहुंच गई है।

पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने निपाह वायरस से बच्चे की मौत की पुष्टि की है। इंस्टीट्यूट ने बताया कि बच्चे की रिपोर्ट पार्जिट्रब

लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

कोंक्णीकोड पहुंच रहीं स्वास्थ्य मंत्री जार्ज

स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने कहा कि बच्चे के अलावा परिवार के किसी सदस्यों में ऐसा लक्षण नहीं पाया गया है। फिलहाल सभी को कांक्षिकोड में रहने को कहा गया है। इसी सिलसिले में भी और मंत्री पीए मोहम्मद रियास रविवार को कांक्षिकोड जा रहे हैं।

कितना खतरनाक है निपाह वायरस-मरीजों को निपाह वायरस की चपेट में आने के बाद मरीजों का सांस लेने में पेशानी शुरू हो जाती है। साथ ही तेज खुखरा भी आ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इस वायरस की चपेट में आने से 50-75 फीसदी मरीजों की मौत होने की संभावना रहती

है। जब इस वायरस का संक्रमण पहली बार फैला था, तब 250 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए थे और इनमें से अस्पतालों में भर्ती करीब 40 फीसदी मरीजों को गंभीर बीमारी हुई थी और उनकी मौत हो गई थी।

केंद्रीय कर्मियों को ऑफिस में रोज मिलेगा पांच मिनट का 'योगा ब्रेक'

नई दिल्ली। अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपने ऑफिसों में रोजाना पांच मिनट का योगा ब्रेक किया जाएगा। इसके अंदर तोताजा होकर नए दम्पत्ति के साथ अपने काम पर ध्यान लगा सकेंगे। इसके लिए कार्यक्रम मंत्रालय ने सभी विभागों को आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल केंद्रीय अधिक मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने 2019 में कर्मचारियों को तोताजा करने की पुष्टि के तहत वाई-ब्रेक के नाम से पांच मिनट का योगा प्रोटोकॉल डिजाइन किया था। इस मॉडल को जनवरी, 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलूरु, हैदराबाद और कोलकाता में लागू किया गया। कर्मियों में ब्रेक के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल एप वाई-ब्रेक को आम जनता के लिए भी लॉन्च किया गया है।

केरल में कोरोना के बीच और खतरा-निपाह वायरस ने ली

12 साल के बच्चे की जान, केंद्र ने भेजी टीम

केरल में एक साथ दो-दो वायरस लोगों की जान ले रहे हैं। लोग कोरोना के साथ-साथ निपाह वायरस के शिकार हो रहे हैं। एक साथ दो वायरसों के कहर से डॉक्टर और विशेषज्ञ भी चित्तित हैं। आज सुबह-सुबह निपाह वायरस से एक मासूम की मौत हो गई।

मॉडल पुलिस विधेयक बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पुलिस व्यवस्था को पारदूर्ला, स्वतंत्र, जवाबदेह और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए एक 'मॉडल पुलिस विधेयक' बनाने की मांग की गई है।



वकील अश्विनी कुमार ने पांच दिवायायाद्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार के एक नियन्त्रित देशों देने की मांग की गई है जो विकल्पित देशों देने की मांग की गई है। याचिका को पुलिस अधिनियम का पारिषद विधेयक बनाने की मांग की गई है।

फास के पुलिस अधिनियम का पारिषद विधेयक आयोग या एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो विकल्पित देशों को एक नियन्त्रित देशों के बाद रखने की मांग की गई है।

विभिन्न देशों के पुलिस अधिनियमों का पारिषद विधेयक आयोग या एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का मासूदा तैयार करने का नियन्त्रित देशों के बाद रखने की मांग की गई है।

केवल रात के अंधेरे में हुई बल्कि दिन के उड़ाने में भी हुई क्योंकि हमारे पास शासक वी पुलिस हैं न कि लोगों की पुलिस। याचिका पर आयोग को पुलिस प्रणाली को 1990 में कशीरे में हत्याएं न

सरकार ने केंसर, डायबिटीज और टीबी समेत 39 दवाओं की कीमत घटाई

नई दिल्ली। आवश्यक दवाओं की गतिविधि सुची (एनएलएम) में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्टेमोल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमतें कम कर दी हैं। जिन दवाओं की कीमतें में कटौती की गई हैं उनमें कैंसर-रोधी, डायबिटीज-रोधी, एंटीबायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीट्रोफागल, टीनी-रोधी दवाओं के अलावा दूसरी दवाएं भी समिल हैं। जिनका कोविड के उपचार में उपयोग की जाता है।

16 आड दवाओं को सूची से हटाया एनएलएम सूची पर काम कर रहे विशेषज्ञों ने 16 आड दवाओं को सूची से हटा दिया है। ईंडोमायेल डिक्लिपल रिसर्च कार्यसिल (आइसीएमआर) दवाओं की कीमत पर नियन्त्रण करने के लिए लंबे समय की लोगों की पुलिस। याचिका पर आयोग लाया गया है कि वर्ष 1990 में कशीरे में हत्याएं न



आमतौर पर इस्टेमोल की जाने वाली दवाएं एनएलएम सूची पर काम कर रहे विशेषज्ञों ने उनमें दो राधी दवाएं टेनेलिगलिपिटन, लोकप्रिय टीनी-रोधी दवाएं, कोविड के उपचार में उपयोग की जाने वाली आइवरेमेकिटन, रोटानायरस वैक्सीन एवं अन्य शामिल हैं।

इन दवाओं को मूल्य कैप के तहत लाया गया

आमतौर पर इस्टेमोल की जाने वाली दवाएं, जिन्हें मूल्य कैप के तहत लाया गया था, उनमें सुगर राधी दवा टेनेलिगलिपिटन, लोकप्रिय टीनी-रोधी दवाएं, कोविड के उपचार में उपयोग की जाने वाली आइवरेमेकिटन, रोटानायरस वैक्सीन एवं अन्य शामिल हैं।

एसे दवाओं को मूल्य कैप के अंतर्गत रखा

जाएगा।

देश के विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना जरूरी

वन चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए

नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवाले ने जनसंख्या नियन्त्रण को लेकर मोटी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को कहा कि देश के विकास के लिए देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनकी पार्टी बन चाइल्ड पॉलिसी का समर्थन करने की मौत नहीं होनी चाही दी जाती है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए आवादी करने के लिए आवादी करने की नीति अपनाने हैं तो हम आवादी करना चाहते हैं। अभी हम दो, हमारे दो की नीति है। हमारी पार्टी मानती है कि आवादी घटाने के लिए हम दो हमारा एक (एक परिवार, एक बच्चा) का कानून बनें। आठवाले ने कह



पैरालंपिक (बैडमिंटन) : फाइनल में हारे यतिराज, रजत से करना पड़ा संतोष



टोक्यो (एंजेसी)।

भारत के सुदामा एल. यतिराज को यहां चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन पुरुष एकल एसएल 4 वर्ष के फाइनल में कास के विश्व अनुभव का फायदा उठाकर 15-

21, 21-17, 21-15 ये उहोने कहा कि भारत आपको वह देता है जिसके आप हकदार हैं यतिराज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। वह काम के बाद ज्यादातर रातों में अध्यास किया करते थे। पदक समारोह के बाद यतिराज ने कहा, मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक एहसास। मैंने अपने जीवन में एक ही समय में कभी भी सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा निरास महसूस नहीं किया है। रजत पदक के सबसे ज्यादा खुश और अपने अच्छी शुरुआत की लेकिन वह मैंने जीवन में नाकामीय की थेड़ा फायदा हुआ और वह बीच मैं स्वर्ण जीतने से चूक गया।

आरटीआई और एफआईआर विषय पर

63 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार का आयोजन

आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर किन किन धाराओं पर लोक सूचना अधिकारियों पर दर्ज कराएं एफआईआर विषय पर ताराचंद जांगिड़ ने दिया प्रजेंटेशन

क्रांति समय दैनिक समाचार

क्या आप कभी सूचना के अधिकार कानून के आगे भी निकलकर विचार किये हैं?

मानकर चलने की यदि आपको आरटीआई फाइल करने के बाद जानकारी समयसीमा पर न

मिले अथवा कोई जानकारी ही न मिले, अथवा अधूरी और भ्रामक जानकारी मिले,

अथवा जो जानकारी दी जाय

वह छूटी और गलत हो तो आप क्या करें? जहिर है

आप प्रथम अपील पर जायेंगे

और और यदि प्रथम अपील में

निराकरण नहीं होता तो आप

सूचना योग में द्वितीय अपील में

जायेंगे. लेकिन क्या आपने

सूचना है की इस प्रक्रिया

के साथ-साथ आप भारतीय

दंड संहिता और दंड प्रक्रिया

संहिता के विधान के तहत

भी कार्यवाही की मांग कर

सकते हैं और जानकारी न देने

और गलत भ्रामक जानकारी

देने आरटीआई कानून का

उल्लंघन करने के लिए लोक

सूचना अधिकारी और प्रथम

अपीलीय अधिकारी के उपर

एफआईआर भी दर्ज करवा

सकते हैं।

इसी विषय को लेकर

दिनांक 05 सितम्बर शिक्षक

दिवस के दिन सुबह 11 बजे

से दोपहर 02 बजे तक राष्ट्रीय

सूचना के अधिकार वेबिनार

का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मप्र

सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने

की जबकि विशिष्ट अतिथि

के तौर पर पूर्व केन्द्रीय सूचना

आयुक्त शैलेश गांधी, पूर्व मप्र

राज्य सूचना आयुक्तआत्मीय,

आरटीआई एक्टिविस्ट और

अधिवक्ता ताराचंद जांगिड़

आरटीआई एक्टिविस्ट वीरेश

बेल्लूर और माहिती अधिकार

मंच मुंडई के संयोजक भास्कर

प्रभु समिलित हुए।

राजस्थान से आरटीआई

एक्टिविस्ट और अधिवक्ता

ताराचंद जांगिड़ ने पॉर्ट पॉइंट

प्रजेंटेशन देकर बताया किस

प्रकार से यदि लोक सूचना

अधिकारी अथवा प्रथम

अपीलीय अधिकारी अपने

कर्तव्यों की अवहेलना करें

और समयसीमा पर और सही

जानकारी न उपलब्ध कराएँ

तो उनके ऊपर भारतीय दंड

विधान और और दंड प्रक्रिया

संहिता के तहत एफआईआर

दर्ज करवाई जा सकती है।
प्रथम अपील तक का स्तर
और असद्भावना से की गयी
कार्यवाहियों और दंड विधान

ताराचंद जांगिड़ ने बताया
की किन नियमों के उल्लंघन
पर किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई जा
सकती है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं देना
धारा-7(2) आरटीआई एक्ट
का उल्लंघन है।

लोक सूचना अधिकारी

द्वारा एक दंड संहिता की

संहिता की धारा 193, 421 के

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वारा एक दंड संहिता की

संहिता की धारा 166ए, 420 के

एफआईआर दर्ज होगी।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा

ज्ञानकारी देने जिसका

प्रमाण आवेदक के पास मौजूद

है उस स्थिति में भारतीय दंड

संहिता की धारा 166ए, 167,

420, 468 और 471 के तहत

एफआईआर दर्ज होगी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वारा निर्णय करने के बाद भी

सूचनाएं नहीं देने की स्थिति

में भारतीय दंड संहिता की

धारा 188 और 420 के तहत

एफआईआर दर्ज हो सकती

है।

लोक सूचना अधिकारी अथवा

प्रथम अपीलीय अधिकारी

द्वारा आवेदक को धमकाने की

संहिति में आईपीसी की धारा

506 के तहत एफआईआर दर्ज

करने का प्रावधान है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा

शुल्क लेकर भी सूचना नहीं

देने की स्थिति में आईपीसी

पुलिस के लोक सूचनाधिकारी

द्वारा निर्णय करने के बाद भी

सूचनाएं नहीं देने की स्थिति

में भारतीय दंड संहिता की

धारा 166ए, 167, 420, 468 और

471 के तहत एफआईआर

दर्ज होगी।

कर्तव्य जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

के समक्ष लोक सूचना अधिकारी

जानकारी देने का प्रावधान

होगा। पीईओ अथवा

लिखित में ऐसे कथन करना

जिसका झूठ होना पीईओ

अथवा एफएओ को ज्ञात हो

और इससे आवेदक को

कर्तव्य जा सकती है।

की धारा 406 और 420 के

तहत एफआईआर दर्ज किये

जाने का प्रावधान होगा।

पीईओ अथवा एफएओ द्वारा

सूचना के भी गैरवाजिर रहने

की स्थिति में भारतीय दंड

संहिता की धारा 175, 176,

188, और 420 के तहत

एफआईआर दर्ज हुई और

कर्तव्य जा सकती है।

की धारा 406 और 420 के

तहत एफआईआर दर्ज किये

जाने का प्रावधान होगा।

पीईओ अथवा एफएओ

द्वारा सूचना के भी गैरवाजिर

रहने की स्थिति में भारतीय दंड

संहिता की धारा 175, 176,

188, और 420 के तहत

एफआईआर दर्ज हुई और